19.12.18 पत्रावली पेश हुई। वादी मनदीप द्वारा वादिनी अभिभावक आ. पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी से ली गई। आवेदन-पत्र में राजीनामा के आधार पर निस्तारण का निवेदन किया है। राजीनामा मार्फत लोक अदालत कैम्प कोहला में पेश किया गया है। अब वादी द्वारा विरासत नामा नकल जमाबंदी आ.पत्र के संलग्न पेश किये हैं जो शामिल रहे। पत्रावली निर्धारित तिथि को वास्ते बहस अंतिम दिनांक 16/1/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

16-1-19 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस अंतिम
आगामी पेशी दिनांक 18.1.2019
को पेश हो (हस्ताक्षर)

18.1.19 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस सुनी गई।
आगामी पेशी दिनांक
को पेश हो। पत्र. वास्ते निर्णय दिनांक 21.1.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

21.1.19 पत्रावली पेश हुई। उक्त वाद उप.। आर-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया शामिल रहा। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर किया जावे।

आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ़। (2)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र पुरोहित(आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या :—266/2018

इन्द्रजीत 2. इन्द्रसैन पि. श्री होशियार सिह जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ।

----वादीगण।

बनाम

होशियार सिह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ। 2. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

-----प्रतिवादीगण।

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधि.

उपस्थितः—

श्री प्रदीप पारीक, एडवोकेट—वादीगण।

श्री होशियार सिह स्वयं प्रति. सं. 1

दिनांकः 21.1.19

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा पैतृक सम्पति में अपना नाम से हक मानते हुऐ प्रतिवादी संख्या 1 होशियार सिह के नाम से चक 5 आर पी खाता संख्या 69/48 खाता होशियार सिह में दर्ज कुल आराजी 0.759 है. नहरी, चक 7 आर पी ए खाता संख्या 85/44 खाता होशियार सिह में दर्ज कुल आराजी 0.759 हैक.,चक 13 एन डी आर खाता संख्या 125/135 खाता होशियार सिह में दर्ज कुल आराजी 1.000 हैक. अनकमाण्ड नाम से दर्ज है। वादीगण को घरू बंटवारा में वाद पत्र के चरण संख्या 4 अनुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण ने धरू बंटवारा अनुसार कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो वह इन्कार हो गया यही वादी कारण है। वादीगण की और से पैतृक भूमि में से राज. काश्तकारी अधि. के तहत घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोहला में दिनांक 26.6.2018 को राजीनामा पेश किया व मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने का कथन किया। राजीनामा पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया जो स्वीकार करने पर बाद तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 औपचारिक पक्षकार होने से उनके हित सुरक्षित रखते हुए तलबी बन्द की गई।

बहस अंतिम सुनी गई व हमारे द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी चक 5 आर पी खाता संख्या 69/48 खाता होशियार सिह में दर्ज कुल आराजी 0.759 है. नहरी, चक 7 आर पी ए खाता संख्या 85/44 खाता होशियार सिह में दर्ज कुल

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

(3)

आराजी 0.759 हैक.,चक 13 एन डी आर खाता संख्या 125/135 खाता होशियार सिह में दर्ज कुल आराजी 1.000 हैक. अनकमाण्ड प्रति. संख्या 1 के नाम से दर्ज है। पैतृक आराजी का साक्ष्य जमाबंदी चक 7 आर पी ए खाता संख्या 55/50 संवत 2066–69, चक 5 आर पी खाता संख्या 48/43 संवत 2066–69,चक 13 एनडीआर खाता संख्या 86/79 संवत 2067–70 आदि पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा पिता–पुत्र है। वाद पत्र में वर्णित सजराखानदान अनुसार वादीगण के वादीगण 1 व 2 पुत्र है। मुताबिक राजीनामा प्रश्नगत आराजी वादीगण प्राप्त कर रहे है जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। अतः वादीगण का वाद पत्र लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वाद पत्र उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर चक 5 आर पी खाता संख्या 69/48 खाता होशियार सिह संवत 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल आराजी 0.759 हैक. नहरी, चक 7 आर पी ए खाता संख्या 85/44, 55 खाता होशियार सिह संवत 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल आराजी 0.759 हैक. नहरी का वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन किया जावे तथा उक्त खातो से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखित दप्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी

(5)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ।

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र पुरोहित(आर ए एस)

संख्या :—266/2018

2. इन्द्रसैन पि. श्री होशियार सिह जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ।

———वादीगण।

बनाम

सिह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ। 2. तहसीलदार राजस्व

स्व वाद संख्या :—266/2018

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

पर्चा डिकी

वादी की ओर से श्री प्रदीप पारीक,एडवोकेट व प्रतिवादी की और से श्री होशियार सिह संख्या 1 स्वयं की उपस्थिति में दावा मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश ा जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक 5 आर पी खाता संख्या 69/48 खाता होशियार संवत 2070—73 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल आराजी 0.759 हैक. नहरी, चक 7 पी ए खाता संख्या 85/44, 55 खाता होशियार सिह संवत 2070—73 में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज कुल आराजी 0.759 हैक. नहरी का वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित ा जाता है राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अंकन किया जावे तथा उक्त खातो से प्रतिवादी ा 1 का नाम कलमजन किया जावे। राजीनामा डिकी का जुज रहेगा। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक है तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल दरामद किया जा

खर्चा पक्षकारान अपना —अपना वहन करेगे।

यह डिकी दिनांक 21.1.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी कीगई।

उपखण्ड अधिकारी।
सहायक कलक्टर
एवं सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner